

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 19/5/14

प्रेषक,

श्री काली बैठा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजे जानेवाले राज्यादेश/पत्र को संसूचित करने से संबंधित आवश्यक अभिलेख भेजने के संबंध में ।

प्रहसन्य

निम्नानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय विभागों द्वारा संसूचन हेतु भेजे गये राज्यादेश/पत्र के प्रस्ताव में प्रायः निम्नोक्त त्रुटियाँ पायी जाती हैं:-

- 1: महालेखाकार, बिहार को संबन्धित पत्र की श्रयाप्राप्ति संसूचन हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- 2: जांच-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है। अगर जांच पत्र संलग्न भी किया जाता है तो पूर्णरूपेण एवं ठीक से भरा नहीं रहता है।
- 3: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति/परागर्श की राज्यादेश के साथ अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की जाती है। वांछित अभिलेख नहीं रहने के कारण संसूचन करने में वित्त विभाग को कठिनाई होती है।

अतएव, अनुरोध है कि महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचन किया जानेवाला राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश/पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

- 1: महालेखाकार, बिहार को संसूचित किये जाने वाले पत्र की 2 (दो) मूल प्रति जिसकी एक प्रति वित्त विभाग को सम्बोधित हो।
- 2: जांच पत्र (पूर्णरूपेण भरा हुआ रहना चाहिये)
- 3: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति/परागर्श की उपसचिव स्तर के पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।
- 4: विभाग द्वारा सचिका में संसूचन हेतु भेजे जाने वाले राज्यादेश/पत्र एवं जांच पत्र के साथ संबंधित प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति पृष्ठ की अभिप्रमाणित छाया प्रति (उद्धरण) संलग्न करने की कृपा की जाय। अभिप्रमाणित प्रति उप सचिव के स्तर के पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित रहना आवश्यक है।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

19/5/14

(काली बैठा)

सरकार के उप सचिव ।

20/5/14
22/5/14

22/5

17/5/14
23/5/14

श्री गौराम
कृपया निम्नोक्त के पूर्ण
पदाधिकारियों/परिभाजना के
संयोजक/सभी मुठ शठ के
परिनामित किया जाय
22/5/14

(21)


बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग।

सं0प्र0-2/ल0ज0सं0/बजट (महालेखाकार)- विविध-23/14


2602

/पटना,दिनांक- 4.6.14

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई एवं नलकूप प्रभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई एवं नलकूप प्रभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई एवं नलकूप प्रभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी सहायक, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के संलग्न पत्र में निहित निदेशों का 'अनुपालन महालेखाकार, बिहार, पटना' को भेजे जानेवाले राज्यादेश /पत्र से संबंधित आवश्यक अभिलेख के संबंध में पूरी तत्परता के साथ कृपया सुनिश्चित किया जाय।


(घनश्याम राम)

सरकार के उप सचिव
लघु जल संसाधन विभाग


4/6/14